<u>प्रकरण संख्या 151/2024 नोजी उर्फ नोजा बनाम खेमराज व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.05.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती का प्रस्तुत किया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद ने अपने वाद में मुख्य रूप से सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के आदेश दिनांक 28.09.1985 को चैलेन्ज किया है तथा इसी आदेश के तहत वादी के साबिक आराजी नंबर 935 जिसके वर्तमान आराजी नंबर 1349 व 1350 हैक्टर में से रकबा 0.0400 हैक्टर रकबा कम करना दर्ज होना अपने वाद में कहा है। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी एक न्यायालय है और न्यायालय आदेश की पालना में विधिवत मौके पर जाकर रिपोर्ट बनाकर दिनांक 28.09.1985 की पालना में भूमि प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज की गयी थी। यदि वादी इस आदेश से व्यथित है तो उसे दिनांक 28.09.1985 की अपील करना चाहिए था। इस आदेश से वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है ऐसी स्थिति में वाद कारण के अभाव में वादी का वाद खारिज किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने दिनांक 28.09.1985 को चैलेन्ज नहीं किया है, बल्कि वादी के खातेदारी अधिकार के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है तथा वादी के खातेदारी अधिकारों को उनकी अनुपस्थिति में परिवर्तित किया गया है। भू–प्रबन्ध अधिकारी न्यायालय नहीं है, न उसका आदेश अंतिम होता है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 16.10.2024 से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी स्वीकार कर वादी का वाद वाद कारण के अभाव में खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 16.12.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश नागदा उपस्थित हुए, जबकि [illegible] की ओर से अधिवक्ता	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:06:40 IST
Reason: SelfAttested

श्री गणेशलाल डांगी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद कारण उत्पन्न होना नहीं मानकर वाद खारिज करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का यह कथन कि ए.एस.ओ. के आदेश की अपील करनी चाहिए, जो गलत है। उक्त आदेश एकतरफा वादी की अनुपस्थिति में पारित किया गया है, जिसको वाद कर चैलेन्ज किया जा सकता है। ए.एस.ओ. द्वारा जो कार्यवाही की गयी है, वह लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत की गयी है, जबकि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में खातेदारी अधिकारों को निश्चित नहीं किया जा सकता। आदेश 7 नियम 11 में वाद किसी कानून से बार्ड होने पर ही वाद नहीं ला सकता, जबकि इस प्रकरण में ऐसा कोई कानून नहीं बताया गया है, जिसके तहत बाद बार्ड हो। सेटलमेन्ट को पूर्व इन्द्राज को ही दोहराना चाहिए, इन्द्राज परिवर्तित करने का अधिकार सेटलमेन्ट विभाग को नहीं है। सेटलमेन्ट द्वारा इन्द्राज परिवर्तन मात्र तीन अवस्था में ही किये जा सकते हैं, प्रथम न्यायालय डिक्री, द्वितीय विक्रय पत्र, तृतीय विरासत, इसके अतिरिक्त बिना की कारण के इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार सेटलमेन्ट कर्मचारियों को नहीं है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRD 1998 Page 585, RRD 1970 Page 130, RRD 1970 Page 3, RRT 2015 (2) Page 1214, RBJ (5) 1998 Page 274, RRT 2008 (1) Page 151, RRT 2001 (1) Page 244, 2003 0 Supreme (Raj) 156, RRD 14.9,10.2020 Page 299 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट/वादी को कोई कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न नहीं हुआ है तथा अपीलान्ट द्वारा सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:06:40 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय का यह कथन कि ''सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के आदेश दिनांक 28.09.1985 के कारण हुए राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन को केवल वादी द्वारा यह अंकित कर देने से कि वादी द्वारा दिनांक 09.07.2020 को राजस्व रेकार्ड देखने पर रकबे में कमी होने का ज्ञात होने उत्पन्न हुआ हो नहीं माना जा सकता। किसी न्यायालय के निर्णय के कारण हुए राजस्व रेकार्ड में तब्दीली के संबंध में सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। परन्तु वादी द्वारा उक्त निर्णय की अपील प्रस्तुत नहीं कर हस्तगत वाद प्रस्तुत किया है जो उक्त निर्णय की अपील के अभाव में चलने योग्य नहीं पाया जाता है।'' अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि यदि सेटलमेन्ट द्वारा रकबे में कमी बेशी कर दी जाती है तो उसे वाद के जरिये साक्ष्यों के आधार पर सही किया जा सकता है। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर वाद का निस्तारण नहीं कर मात्र उपरोक्त कथन अंकित करते हुए अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया है, जबकि अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर अनुसार सेटलमेन्ट विभाग को बिना किसी आधार के पूर्व इन्द्राज को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 106/2020 निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाबदावा लेकर तथा वाद एवं जबाबदावे के आधार पर तनकियात कायम कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.06.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 07.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:06:40 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:06:40 IST
Reason: SelfAttested